[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या **11** /2018- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक **20** मार्च, **2018**

सा.का.नि. (अ). जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "मेलामाइन" जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, **1975 (1975** का 51) की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष 2933 61 00 के अंतर्गत आता है, के आयात के मामले में और अधिसूचना संख्या **15/17/2014**-डीजीएडी, दिनांक 05 दिसम्बर, **2015**, जिसे 05 दिसम्बर, **2015** को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, कि द्वितीय सनसैट रिव्यू समीक्षा में अपने अंतिम निष्कर्षों में निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि–

**(i)** विषयगत देश से विषयगत वस्तु की लगातार भरमार हो रही है ।
**(ii)** इस भारी आयात से घरेलू उद्योग को क्षति होती जा रही है ।
**(iii)** प्रतिपाटन शुल्क को वापस लिए जाने या इसको समाप्त किए जाने से विषयगत देश से यहां विषयगत वस्तु की भरमार और उससे घरेलू बाजार को होने वाली क्षति के आगे भी जारी रहने और इसके और भी गंभीर होने की संभावना है ।

और विषयगत देश में मूलत उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तु के आयात पर निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जहां कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, **2016**, जिसे सा.का.नि. 122 (अ), दिनांक 28 जनवरी, **2016** के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड **(i)** में प्रकाशित किया गया था के द्वारा विषयगत वस्तु पर अनंतिम प्रतिपाटन शुल्क लगाई है ।

और जहां कि मैसर्स क्यूतून जिंजिंआग कैमिकल इं.कं.लि. (उत्पादक) ने फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि. (निर्यातक) के माध्यम से सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान उनका मूल्यांकन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 22 के अनुसार उस निर्यात के बारे में समीक्षा करने का अनुरोध किया है जो कि उनके द्वारा

विषयगत माल का निर्यात किया गया है, और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नए शीपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/11/2017-डीजीएडी, दिनांक 01 जनवरी, **2018** जिसे 01 जनवरी, **2018** को भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा उन सभी विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यातकों के अनंतिम आंकलन की सिफारिश की है जिसका निर्यात उपर्युक्त पार्टी ने किया है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक की इसके द्वारा समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

अत: अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, **1995** के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त

सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात एतदद्वारा निर्देश देती है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के परिणाम के आने तक विषयगत वस्तु, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में मैसर्स क्यूतून जिंजिंआग कैमिकल इं.कं.लि. (उत्पादक) के द्वारा फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि. (निर्यातक) के द्वारा किया जा रहा हो का अनंतिम आंकलन तब तक होता रहेगा जब तक कि समीक्षा का यह कार्य पूरा नहीं हो जाता है ।

2. यह अनंतिम आंकलन उस प्रतिभूति या गारंटी के अधीन होगा जिसे सीमा शुल्क का यथोचित अधिकारी यह समझे कि किसी प्रकार की कमी के लिए यह उपयुक्त है और यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाता है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही जांच के पूरा होने के अधीन रहेगी ।

3. निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा की जा रही उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क के लगाए जाने की सिफारिश किए जाने पर आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान करने का दायी होगा जो कि विषयगत वस्तुओं के सभी प्रकार के आयात, जब इनका मूलत: उत्पादन या निर्यात विषयगत देश में/से मैसर्स क्यूतून जिंजिंआग कैमिकल इं.कं.लि. (उत्पादक) के द्वारा फौशान कैसिनो बिल्डिंग मैटीरियल कं.लि. (निर्यातक) के द्वारा किया जा रहा हो और उनका भारत में आयात किया जा रहा हो । यह प्रतिपाटन शुल्क उक्त समीक्षा के प्रारंभ होने की तिथी से लागू होगा ।

[फाइल संख्या.**354/319/2011** –टीआरयू (पार्ट-II)]

**(रूचि बिष्ट)**
अवर सचिव, भारत सरकार